प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

(मई, 2018)

*****

प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां:

1. पूर्णकालिक सीईओ की अध्यक्षता में एक समर्पित राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (पीएमआरएसएसएम) के कार्यान्वयन का प्रबंधन करने के लिए दिनांक 11.05.2018 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
2. पीएमआरएसएसएम को नीतिगत निर्देश प्रदान करने के लिए दिनांक 12.05.2018 को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद (एबीएनएचपीएमसी) भी बनाई गई है।
3. फ्लोरेंस नाइटेंगिल पुरस्कार समारोह, 2018 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान 35 उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार दिया गया।
4. श्री जगत प्रकाश नड्डा, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक (सीएचएमएम), 71वीं वर्ल्ड हेल्थ एसेंबली (डब्ल्यूएचए 71) बैठक 20-26 मई, 2018 के दौरान जेनेवा, स्विट्जरलैण्ड में द्विपक्षीय बैठकों और उसके अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में भाग लिया।
5. 'अभिनव पहल योजना' के तहत श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 मई से 3 जून, 2018 के दौरान टुवालू का दौरा किया।
6. 'अभिनव पहल योजना' के तहत श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 8 मई से 16 मई, 2018 के दौरान डोमिनिका और ग्रेनाडा के राष्ट्रमंडल का दौरा किया।
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए बजट की प्रभावी निगरानी हेतु एक "ऑनलाइन डैशबोर्ड" बनाया गया था और इसे सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) द्वारा दिनांक 16 मई, 2018 को लॉन्च किया गया।
8. तेलंगाना और ओडिशा में एएस एवं डीजी (नाको और आरएनटीसीपी) द्वारा जेल और अन्य क्लोज्ड सेटिंग्स में दिनांक 9 मई, 2018 और 10 मई, 2018 को क्रमश: एचआईवी और टीबी निदान पहलें शुरू की गई थीं।
9. 16 नए मेडिकल कॉलेज (1750 एमबीबीएस सीटें) शुरू करने के लिए अनुमति पत्र जारी किए गए हैं और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों (460 सीटें एमबीबीएस) में सीटें बढ़ाने के लिए 05 अनुमति-पत्र जारी किए गए हैं।
10. अकादमिक सत्र 2018-19 के लिए पीजी (सुपर स्पेशियलिटी) शुरू करने / 47 सीटें बढ़ाने के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया।
11. 70 एमबीबीएस कॉलेजों के संबंध में अनुमति के नवीकरण के लिए पत्र जारी किए गए।
12. एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श में सीट ब्लॉक करने को रोकने और परामर्श के दौरान नए विकल्प का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए सीट मैट्रिक्स प्रदान करने के लिए स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में संशोधन किया गया है।

13. वर्ष 2018-19 के अकादमिक सत्र के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम हेतु 2 नए सरकारी दंत चिकित्सा कॉलेजों, जिसमें हर कॉलेज में 50 सीटों की प्रवेश क्षमता (कुल 100 सीटें) हो, की स्थापना हेतु अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किए गए हैं।
14. 3 दंत चिकित्सा कॉलेजों के संबंध में बीडीएस पाठ्यक्रम 2018-19 के लिए नवीकरण अनुमति पत्र जारी किए गए हैं।
15. 'जिला/रेफरल अस्पताल के साथ जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के चरण-II के अंतर्गत राज्यों में नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए झारखण्ड, मध्य प्रदेश और सिक्किम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
16. 05 एमबीबीएस कॉलेजों की मान्यता के संबंध में अधिसूचनाएं / पत्र जारी किए गए।
17. मई, 2018 के महीने में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लगभग 1.88 लाख मोतियाबिंद सर्जरी की गईं, स्कूली बच्चों को 12,104 मुफ्त चश्में वितरित किए गए और 3,697 दान किए गए नेत्र एकत्रित किए गए।

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन:

1. कार्यात्मक एम्स को निर्माण, खरीद और प्रशासनिक मामलों में शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन के साथ अधिकार संपन्न बनाया गया है।
2. चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और मेडिकल उपकरणों की खरीद के काम में लगी क्रम सहायता एजेंसी (पीएसए) को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करके अधिकार संपन्न बनाने के साथ और अधिक कुशल बनाया गया है।
3. सभी संविदागत मामलों को अपने स्तर पर निपटाने के लिए अधिकार संपन्न बनाने हेतु टर्नकी आधार पर निष्पादन एजेंसियों को सरकारी चिकित्सा कॉलेजों का उन्नयन करने तथा नए एम्स का निर्माण कार्य सौंपने की एक प्रणाली शुरू की गई है। निष्पादन एजेंसियों को उनके अपने स्तर पर बेहतर परियोजना प्रबंधन लाने के लिए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर लगाना और उपयोग करना अनिवार्य बनाया गया है। मंत्रालय ने गहन और अधिक प्रभावी निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड भी विकसित किया है। परियोजना की प्रगति की जांच करने के लिए समय-समय पर वरिष्ठ स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।
4. छ: नए एम्स की संबंधित स्थायी चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा उन्हें स्वीकृत करने के लिए छ: नए एम्स की संबंधित शासी निकायों की एक उप-समिति का गठन किया गया है।
5. सभी छ: नए एम्स से अनुरोध किया गया है कि वे संकाय की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए संकाय पदों के लिए एम्स, दिल्ली के सीनियर रेजिडेंटों की सूची से उम्मीदवारों के चयन पर विचार करें।

******